संख्या- 17/2018/781/38-4-18-14(विविध)/2016टी0सी0-।।।

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0 प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक- 12 जून, 2018**

विषयः-प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2018-19 हेतु लक्ष्यों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपुर्यक्त विषयक अपने पत्रांक-1055/वि0का0/प्र.मं.आ.यो.-ग्रा/पत्रां.सं.(71)18 दिनांक 24-मई, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा भारत सरकार के अर्द्ध.शा. पत्र संख्या -G-20011/01/2015-RH(A/C) Part-I दिनांक 21.05.2018 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु आवासों के लक्ष्यों के निर्धारण एवं शासनादेश संख्या-42/2016/1449/38-4-16-14(विविध) /2016 टीसी, दिनांक-08.11.2016 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित वरीयता क्रम में परिवर्तन/ संशोधन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- आपके उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-42/2016/1449/38-4-16-14(विविध) /2016 टीसी, दिनांक-08.11.2016 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत जिन 06 श्रेणी के ग्रामों को संतृप्त करने का निर्णय लिया गया था, उसमें निम्नलिखित परिवर्तन/संशोधन के अनुसार ग्रामों को वरीयता क्रम में संतृप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1- मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत किये गये ग्राम।
2- सांसद आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत चिन्हित ग्राम।
3- प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ओ0डी0एफ0 के अन्तर्गत चिन्हित 10 ग्राम।
4- डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन RURBAN मिशन में चिन्हित क्लस्टर के ग्राम।
5- DAY-NRLM के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के सशक्त नेटवर्क वाले चिन्हित प्रत्येक जनपद के 05-05 ग्राम।
6- कालाजार रोग से प्रभावित ग्राम।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- भारत सरकार के पत्र दिनांक 21.05.2018 में विहित निर्देशों के अन्तर्गत यथासम्भव 15 प्रतिशत की सीमा तक अल्पसंख्यक श्रेणी के लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में निर्मित कराये जाने वाले आवासों हेतु प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार निम्नवत लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं:-

PMAY-G proposed physical target for the Year 2018-19			
S. No.	District	Districtwise Demand of 2018-19	Proportionate Distribution of 200,000 Physical Target fixed by MoRD In Ratio of Col.3 For the Year 2018-19
1	2	3	4
	State Total	**1182574**	**200000**
1	Agra	5428	918
2	Aligarh	1415	239
3	Allahabad	40795	6899
4	Ambedkar Nagar	15151	2562
5	Amethi	22364	3782
6	Auraiya	17347	2934
7	Azamgarh	41425	7006
8	Baghpat	0	0
9	Bahraich	72476	12257
10	Ballia	23654	4000
11	Balrampur	7670	1297
12	Banda	31801	5378
13	Bara Banki	20662	3494
14	Bareilly	6640	1123
15	Basti	23779	4022
16	Bijnor	3306	559
17	Budaun	18076	3057
18	Bulandshahr	556	94
19	Chandauli	9719	1644
20	Chitrakoot	15755	2665
21	Deoria	11092	1876

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

22	Etah	8878	1501
23	Etawah	8797	1488
24	Faizabad	18224	3082
25	Farrukhabad	11723	1983
26	Fatehpur	32392	5478
27	Firozabad	5201	880
28	Gautam Buddha Nagar	0	0
29	Ghaziabad	2	0
30	Ghazipur	15127	2558
31	Gonda	45158	7637
32	Gorakhpur	17462	2953
33	Hamirpur	8006	1354
34	Hapur	0	0
35	Hardoi	38529	6516
36	Jalaun	8797	1488
37	Jaunpur	20545	3475
38	Jhansi	7630	1290
39	Jyotiba Phule Nagar	189	32
40	Kannauj	11784	1993
41	Kanpur Dehat	16832	2847
42	Kanpur Nagar	7847	1327
43	Kanshiram Nagar	1984	336
44	Kaushambi	14355	2428
45	Kheri	46798	7915
46	Kushinagar	19458	3291
47	Lalitpur	9931	1680
48	Lucknow	5468	925
49	Mahamaya Nagar	498	84
50	Mahoba	6967	1178
51	Mahrajganj	21053	3561
52	Mainpuri	11965	2024
53	Mathura	922	156
54	Mau	11439	1935
55	Meerut	232	39
56	Mirzapur	25993	4396
57	Moradabad	6520	1103
58	Muzaffarnagar	151	26

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

59	Pilibhit	17175	2905
60	Pratapgarh	43753	7400
61	Rae Bareli	30016	5076
62	Rampur	2836	480
63	Saharanpur	124	21
64	Sambhal	4960	839
65	Sant Kabir Nagar	12548	2122
66	Sant Ravidas Nagar (Bhadohi)	10313	1744
67	Shahjahanpur	26478	4478
68	Shamli	25	4
69	Shrawasti	8293	1403
70	Siddharthnagar	8933	1511
71	Sitapur	67861	11477
72	Sonbhadra	17832	3015
73	Sultanpur	31727	5365
74	Unnao	35392	5985
75	Varanasi	8340	1410
	Total	1182574	200000

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

संख्या- 17/2018/ 781(1)/38-4-2018, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध.शा. पत्र संख्या- G-20011/01/2015-RH(A/C) Part-I दिनांक 21.05.2018 के अनुक्रम में।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- गार्डबुक।

आज्ञा से,
अच्छे लाल सिंह यादाव
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।